न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/34

मिसल नम्बर– 11 / 2024

सूरजमल पुत्र स्व0 गोपाल जाति खारोल आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम बोरखण्डी पोस्ट नया नोहरा तहसील लाडपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

मनभर पत्नी श्री देवेन्द्र पुत्री प्रेम सिंह खारवाल आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम बोरखण्डी पोस्ट नया नोहरा तहसील लाडपुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/4/25

उपस्थितिः–

1.श्री धीरज कुमार जैन प्रार्थी अधिवक्ता।

2.श्री चन्द्रमोहन वर्मा

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सीनियर सिटीजन है जो परिवार के साथ अपने निवास स्थान पर निवास करता है तथा अप्रार्थिया प्रार्थी की पुत्रवधु है जो कि प्रार्थी के पुत्र देवेन्द्र की पत्नी है। प्रार्थी का पुत्र देवेन्द्र सरकारी सेवा में है जो कार्यरत रहते हुये प्रार्थी व उसकी पत्नी का पूर्ण रूपेण ध्यान रखता है लेकिन अपनी नौकरी के कारण कोटा शहर से बाहर निवास करता है जिसकी अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थिया प्रार्थी व उसकी पत्नी को बेवजह बिना किसी कारण के मानसिक रूप से प्रताडित करती है। अप्रार्थिया प्रार्थी व उसकी पत्नी को परेशान करने के उद्देश्य से अपने परिवारजन के साथ मिलकर आये दिन प्रार्थी की पत्नी व प्रार्थी से गाली गलौच और लडाई झगडा करती है और कहती है कि यह मकान व जमीन जो कि प्रार्थी की पुश्तेनी जमीन है को अप्रार्थिया के नाम कर दो नही तो अप्रार्थिया प्रार्थी व उसके परिवार को झूटे केसो में फसाकर जेल की ऐसी हवा खिलायेगी कि प्रार्थी की सब जगह बदनामी हो जायेगी । जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से परेशान होता रहता है। प्रार्थी ने जिस मकान में प्रार्थी व अप्रार्थिया रह रहे है पर करीबन 50 साल से अधिक वर्षो से कब्जे के आधार पर निवास करता आ रहा है तथा उक्त मकान के समस्त बिल प्रार्थी के पुत्र देवेन्द्र के नाम आते है तथा अप्रार्थिया इसी बात की रंजिश रखते हुये प्रार्थी व उसकी पत्नी को बेवजह परेशान करती है जिसमें उसका साथ अप्रार्थिया के घर वाले भी पूर्ण रूप से देते है। प्रार्थी पिछले काफी समय से लकवे से ग्रसित है इस कारण प्रार्थी चलने फिरने में भी पूर्ण रूप से सक्षम नही है तथा बीमारी के कारण प्रार्थी को अपनी स्वास्थ्य के लिये समय समय पर दवाईयो का सेवन करता पडता है जिन्हे प्रार्थी स्वयं करने में लकवे की बीमारी के कारण सक्षम नही है। इस पर अप्रार्थिया ना तो प्रार्थी की दवाईयो का ध्यान रखती है ना ही प्रार्थी को समय पर भोजन इस उम्र में प्रदान करती है बल्कि प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

श दवाईया भोजन की कहने पर लडाई–झगडा करते हुये अनर्गल बाते कहती है कि आपके पुत्र ने जो दूसरी लुगाई रख रखी है खाना उसी से मांगो मेरे से मांगोगे तो मैं तुम्हे उस हालत में पहुंचा दूंगी कि जिन्दगी मौत से भी बत्तर हो जायेगी। अप्रार्थिया की इन बातो से प्रार्थी स्वयं को असहाय सा महसूस करता है। क्योकि अप्रार्थिया प्रार्थी की पुत्रवधु है जो कि स्वयं की जिम्मेदारियो से भागकर कैसे ना कैसे तरीके से प्रार्थी के मकान व जमीन को हड़प करना चाहती है जो कि अनुचित है। प्रार्थी का उक्त मकान 50 बाई 50 वर्गफुट का है जिसमें कुल 5 कमरे बने हुये है उन 5 कमरो में से एक कमरे में अप्रार्थिया निवास करती है तथा निवास के दौरान ना तो प्रार्थी व उसकी पत्नी का ध्यान रखती है ना ही प्रार्थी के पौते पोती का ध्यान रखती है बल्कि अप्रार्थिया का ध्यान उसके परिवारजन की बातो में आकर मात्र प्रार्थी की जमीन व मकान को हड़पने पर लगाती है जो कि अनुचित है। प्रार्थी सिनीयर सिटीजन है जो जैसे तैसे अपना व अपनी पत्नी का पालन–पोषण कर रहे है जिसमें भी अप्रार्थिया, प्रार्थी व उसकी पत्नी मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करती आ रही है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को केस रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थीया को जर्ये गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे और अप्रार्थीया से प्रार्थी के मकान को कब्जा मुक्त करवाया जाये तथा अन्य जो भी न्यायोचित सहायता हो वो भी प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराया गया। अप्रार्थी की ओर से बहस नही की गई। अतः बहस का अवसर बंद किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को वर्णित मकान बोरखण्डी पोस्ट नया नोहरा तहसील लाडपुरा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। कानूनन वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के माध्यम से मात्र पुत्र, पुत्री, पौत्र एवं पौत्री से अनुतोष चाहा जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र अपनी पुत्रवधु के विरूद्ध पेश किया है जिस कारण से भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। पुत्र एवं पुत्रवधु का दायित्व होता है कि वे अपने माता–पिता/सार–ससुर की देखभाल एवं सेवा सुश्रुषा करे। अतः न्यायहित में अप्रार्थी को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा